न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, एवं विशेषाधिकारी (भूमि)
अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

प्रकरण संख्या ....23 / 2015........................

1. श्रीमती राधिका अग्रवाल पत्नि श्री दिनेश अग्रवाल निवासी अम्बा बाडी, जयपुर।
2. श्रीमती स्नेहलता पत्नि श्री रमेश कुमार जैन जाति जैन निवासी प्लाट नं. 17 के–5 ग्रीन पार्क जयपुर।
3. ए. आर. पैराडाईज प्राईवेट लिमिटेड , 11–ए स्कीम नं. 54, सत्यसाही स्कूल के सामने विजयनगर, इंदौर।
4. माएस्ट्रो प्रोमोटर्स प्रा. लि. 110 इन्द्र प्रकाश 21 बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली 110001 जरिये डायरेक्टर श्री बिस्वदेव राय घटक पुत्र बी. सी. राय घटक जाति ब्राहामण निवासी नई दिल्ली समस्त मु. आम श्री सुरेश पुत्र चांदमल चौपडा निवासी चौपडा स्ट्रीट पुरानी लेन, गंगा शहर बीकानेर।

विषय :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

::– आदेश –::

दिनांक 21-4-15

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :–

(1) ऊपर नामित आवेदक के राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नालिखित भूमि का..................**आवासीय**..................प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :–

तहसील व जिले का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल
तहसील – अजमेर जिला – अजमेर	माकडवाली	971,	0.31 हैक्टयर,
		972,	0.21 हैक्टयर,
		973,	0.24 हैक्टयर,
		974,	0.31 हैक्टयर,
		975,	1.03 हैक्टयर,
		973 / 4162,	0.02 हैक्टयर,
		974 / 4163,	0.09 हैक्टयर,
		975 / 4164,	0.06 हैक्टयर,
		976,	0.70 हैक्टयर,

			978, 979, 1312, 1313	0.55 हैक्टयर, 01.0 हैक्टयर, 0.29 हैक्टयर, 0.17 हैक्टयर,
			कुल	**4.98 हैक्टयर**

(2) आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबन्दी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

(3) यह कि मैने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धरा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकारी निर्वापित करके भूमि का........**आवासीय**.......प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

(4) अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि खसरा नम्ब........971, 972, 973, 974, 975, 973/4162, 974/4163, 975/4164 976, 978, 979, 1312, 1313........माप.......**4.98 हैक्टयर**.........(हैक्टर/बीघा) की ग्राम............**माकडवाली**............तहसील..............**अजमेर**.............. मे स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों के उक्त भूमि का...............**आवासीय**........... ...प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप–विधि के अनुसार आंवटन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

(5) आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

(6) इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तो की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।
यह आदेश अद्योहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 21-4-15 को पारित किया गया।

-Sd-
उपायुक्त/प्राधिकृत अधिकारी
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

क्रमांक / प्राधिकरण / धारा 90–क / 2015 / 157-162 दिनांक 21-4-15

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी।

1. सचिव एवं प्राधिकारी अधिकारी, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
2. तहसीलदार, अजमेर तहसील को पूर्वोक्त भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अद्योहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. श्रीमती राधिका अग्रवाल पत्नि श्री दिनेश अग्रवाल निवासी अम्बा बाडी, जयपुर।
4. श्रीमती स्नेहलता पत्नि श्री रमेश कुमार जैन जाति जैन निवासी प्लाट नं. 17 के–5 ग्रीन पार्क जयपुर।
5. ए. आर. पैराडाईज प्राईवेट लिमिटेड , 11–ए स्कीम नं. 54, सत्यसाही स्कूल के सामने विजयनगर, इंदौर।
6. माएस्ट्रो प्रोमोटर्स प्रा. लि. 110 इन्द्र प्रकाश 21 बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली 110001 जरिये डायरेक्टर श्री बिस्वदेव राय घटक पुत्र बी. सी. राय घटक जाति ब्राहामण निवासी नई दिल्ली मु. आम समस्त श्री सुरेश पुत्र चांदमल चौपडा निवासी चौपडा स्ट्रीट पुरानी लेन, गंगा शहर बीकानेर।

उपायुक्त / प्राधिकृत अधिकारी
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर